तारीख हुक्म	नटवर सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, बिलाड़ा) सू.अ.अपील संख्या 205/2022	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.07.22	अपीलार्थी नटवर सिंह निवासी राजपूतों का मोहल्ला, ग्राम हरियाढाणा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2022 में उसके द्वारा (1) कुन्दन सिंह पुत्र उदय सिंह जाति राजपूत निवासी हरियाढाणा द्वारा सन 2010से आज तक जितने भी बेचान पंजीयन आप के कार्यालय द्वारा हुए उनका निरीक्षण करवाकर आवश्यकतानुसार चाही गई पंजीयन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, बिलाड़ा) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, बिलाड़ा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, बिलाड़ा) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, बिलाड़ा) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	